To Regularize the Un-Authorized Colony

***16. Sh. RAKESH DAULTABAD (Badshahpur)**

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that in its order dated 21st March 1997 passed in SLP(C) 11023 of 1996, the Hon'ble Supreme Court of India has never prohibited Haryana State to enact a law ever in future to regularize the unauthorized colonies or to rule out New Palam Vihar Colony, Gurugram from application of such law; and

b) whether it is also a fact that Section-4 of the Haryana Management of Civic Amenities and infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016 comes with a non-obstante clause to any judgement, decree or order of any Court, hence provisions of 2016 Act have overriding effect over the Hon'ble Supreme Court Judgement of 21st March, 1997 because of which New Palam Vihar Colony could be approved if it fulfills the required conditions under section-3 of 2016 Act?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA

Yes Sir,

a) The order dated 21st March 1997 passed in SLP(C) 11023 of 1996 by the Hon'ble Supreme Court of India has never prohibited the State to enact a law ever in future to regularize the unauthorized colonies. Accordingly, the State enacted the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act from time to time and notified the unauthorized colonies in the State as Civic Amenities and Infrastructure Deficient areas i.e. 887 colonies in the year 2013-14, 685 colonies in the year 2018-19 and at present about 2237 colonies falling in municipal areas are under consideration.

   However, in case of New Palam Vihar Colony, the Advocate General, Haryana on 28.02.2021 has opined that "*the case of new Palam Vihar Colony is requires to be considered under the provisions of 2016 Act and if they fulfills the parameters laid down therein, further action as provided in the act be taken.*"

b) Section 4(1) of the Haryana Management of Civic Amenities and infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016

is a non-obstante clause to any judgement, decree or order of any Court within the State.

Further, no State Law can override the orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India.

However, in view of the opinion of the Advocate General, Haryana dated 28.02.2021, the proposal of New Palam Vihar Colony has been examined under the Act of 2016 and it is found that the colony does not fulfills the conditions/ norms that all internal roads should not be less than 3 meters width.

अनाधिकृत कॉलानी को नियमित करना

*** 16 श्री राकेश दौलताबाद (बादशापुर):**

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि 1996 के एस.एल.पी.(सी.)11023 में पारित 21 मार्च 1997 को अपने आदेश में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए या न्यू पालम विहार कॉलोनी, गुरूग्राम को उक्त कानून के लागू होने से बाहर रखने के लिए कभी भी भविष्य में कानून बनाने पर रोक नही लगाई है; तथा

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि हरियाणा नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र प्रंबधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 की धारा–4 किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेश के लिए गैर–बाधित खंड के साथ आती है इसलिए 2016 अधिनियम के प्रावधानों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 21 मार्च 1997 के निर्णय पर अधिभावी प्रभाव है जिसके कारण न्यू पालम विहार कॉलोनी को स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह 2016 अधिनियम की धारा–3 के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा करती है?

डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

हां श्रीमान जी,

(क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(सी.) नं0 11023 ऑफ 1996 में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 1997 में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए भविष्य में कभी भी कानून बनाने के लिए राज्य को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तदानुसार, राज्य ने

समय–समय पर हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों (विशेष प्रावधान) अधिनियम को लगाया तथा अनाधिकृत कॉलोनियों का नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र में अधिसूचित किया यानी वर्ष 2013–14 में 887 कॉलोनियां, वर्ष 2018–19 में 685 कॉलोनियां तथा वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में आने वाली लगभग 2237 कॉलोनियां विचाराधीन है।

हांलाकि, न्यू पालम विहार कॉलोनी के मामले में हरियाणा के महाधिवक्ता ने 28.02.2021 को राय दी है कि "न्यू पालम विहार कॉलोनी के मामले में 2016 अधिनियम के प्रावधानों के तहत विचार करने की आवश्यकता है और यदि वे उसमें निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है, तो आगे की कार्यवाही अधिनियम अनुसार की जाए।"

(ख) हरियाणा प्रबंधन की नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (1) राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, हुक्मनामा या आदेश के लिए एक गैर–प्रतिरोधी खंड है।

इसके अलावा, कोई भी राज्य कानून भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लघंन नही कर सकता है।

हालांकि, महाधिवक्ता, हरियाणा के दिनांक 28.02.2021 के उक्त मत को ध्यान में रखते हुए न्यू पालम विहार कॉलोनी के प्रस्ताव की 2016 के अधिनियम के तहत जांच की गई है और पाया गया है कि कॉलोनी का प्रस्ताव इस अधिनियम के नियमों के तहत परिभाषित शर्तों/मापदंडों जिसमें सभी आंतरिक सडकों की चौडाई 3 मीटर से अधिक हो, को पूर्ण नहीं करता है।